संख्या–1924/II-2017-08(1 स्थापना)/2016

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

लघु सिंचाई अनुभाग, देहरादूनः दिनांक 21 दिसम्बर, 2017

विषयः– कनिष्ठ/अपर सहायक अभियन्ताओं (71) के स्थाईकरण एवं अन्य सेवा लाभ हेतु विभागीय प्रशिक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्याः 555/ल0सिं0/क0अभि0(प्र0)/2017–18 दिनांक 17 जून, 2017 एवं पत्र संख्याः 1383/ल0सिं0/क0अभि0(प्र)/2017–18 दिनांक 16 अक्टूबर, 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से उत्तरांचल, लघु सिंचाई (सिंचाई विभाग) कनिष्ठ अभियन्ता (समूह "ग") सेवा नियमावली, 2003 के नियम 20(ख) में उल्लिखित विभागीय प्रशिक्षण प्राप्त किये जाने की अनिवार्यता के दृष्टिगत विभागान्तर्गत कार्यरत 71 कनिष्ठ/अपर सहायक अभियन्ता के स्थाईकरण एवं अन्य सेवा लाभ प्रदान किये जाने हेतु उनके प्रशिक्षण की अवधि को तीन माह के स्थान पर केवल एक बार के लिए 40 दिन का किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– अतः विभागान्तर्गत कार्यरत 71 कनिष्ठ/अपर सहायक अभियन्ता, जिनमें से कुछ की निकट भविष्य में सेवानिवृत्ति होने, शेष अभियन्ताओं की सेवा अवधि काफी व्यतीत होने एवं एक साथ इतनी संख्या में कनिष्ठ अभियन्ताओं के प्रशिक्षण हेतु 03 माह कार्य से विरत रहने से संचालित/उनके द्वारा सम्पादित कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पडने की सम्भावना के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लघु सिंचाई (सिंचाई विभाग) कनिष्ठ अभियन्ता (समूह "ग") सेवा नियमावली, 2003 के नियम 20(ख) में उल्लिखित विभागीय प्रशिक्षण प्राप्त किये जाने की अनिवार्यता के क्रम में उक्त अभियन्ताओं के विभागीय प्रशिक्षण अवधि को विशेष परिस्थितियों मे अपवादस्वरूप केवल एक बार के लिए शिथिल करते हुए 03 माह के स्थान पर 40 दिवस का विभागीय प्रशिक्षण कराये जाने हेतु निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. उक्त विभागीय प्रशिक्षण हेतु विभाग में कार्यरत मुख्य अभियन्ता की अध्यक्षता में एक समिति गठन की जायेगी, जिसके द्वारा विभागीय प्रशिक्षण में उत्तीर्ण होने वाले कनिष्ठ/अपर सहायक अभियन्ताओं को ही सेवा में स्थाई किये जाने तथा वेतनवृद्धि अनुमन्य किये जाने पर विचार किया जायेगा।
2. उक्त शिथिलीकरण को भविष्य के लिए दृष्टांत नहीं माना जायेगा।
3. उक्त प्रशिक्षण अवधि के अन्दर पूर्व में दिये जाने वाले प्रशिक्षण के समस्त विषयों का समावेश कर लिया जायेगा।

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव ।

zzD:\Sanjeev\Draft 2016.doc

संख्या–989 /II-2017-08(01)/2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपिनिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देहरादून।
2. मुख्य निजी सचिव, मा0 लघु सिंचाई मंत्री जी उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विक्रम सिंह राणा)
उप सचिव

zzD:\Sanjeev\Draft 2016.doc